न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0, एक्ट, श्रावस्ती।

परिवाद संख्या 78/2024
राजू –प्रति– विजय कुमार श्रीवास्तव व अन्य
थाना मल्हीपुर, जनपद श्रावस्ती।

दिनांक 04–07–2026

पत्रावली पेश हुई। बहस तलबी के बिन्दु पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13–07–2026 को पेश हो।

(अवनीश गौतम)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
श्रावस्ती।

दिनांक 13–07–2026

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामले में परिवादी राजू द्वारा न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विरूद्ध विपक्षीगण विजय श्रीवास्तव व अन्य प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 24–10–2024 को आदेश पारित करते हुए परिवाद के रूप में परिवर्तित किया गया।

आवेदक की ओर से परिवाद पत्र मय शपथ पत्र विरूद्ध विजय कुमार श्रीवास्तव, सतीश कुमार वर्मा व अर्जुन समाजदार इन कथनों का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी अनुसूचित जाति चमार है। दिनांक 22–06–2024 को समय करीब 10 बजे सुबह प्रार्थी अपने पिता वकील के पीठ में लगी चोट का इलाज कराने विपक्षी संख्या 3 के क्लीनिक पर ले गया। विपक्षी संख्या 3 के द्वारा प्रार्थी के पिता को इंजेक्शन लगाया गया और एक्सरे हेतु विपक्षी संख्या 1 के डायग्नोस्टिक सेंटर पर भेजा गया जहां विपक्षी संख्या 2 बिना किसी डिग्री व अनुभव के मार कर रहा था। प्रार्थी के पिता के उपरोक्त डायग्नोस्टिक सेन्टर में बेंच पर पेट के बल लेटाकर पीट पर पैस से विपक्षी संख्या 2 ने दबा दिया सिसे प्राथी के पिता की रीढ़ की हडडी टूट गयी। प्रार्थी के पिता के चिल्लाने पर प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 1 व 2 से कहा कि तुम लोगों ने मेरे पिता के कमर की हडडी तोड़ दिया। इतने पर ही विपक्षी संख्या 2 व 3 ने प्रार्थी व उसकी मां को चमार साले मादरचोद की जातिसूचक गालियां देते हुए लात मुक्का थप्पड़ से मारने लगे। तथा प्रार्थी व उसके माता पिता को भगा दिया और कहा कि घ ाटना सूचना कहीं दोगे तो जान से मार देंगे। प्रार्थी ने थाना मल्हीपुर मे एक प्रार्थना पत्र दिनांक 27–06–2024 को तथ एक प्रार्थना पत्र दिनांक 02–07–2024 को श्रीमान जी को दिया। विपक्षीगण ने प्रार्थी पर सुलह के लिए दबाव बनाया। थाना मल्हीपुर में तैनात एस0आई0 कपिलमुनि यादव प्रार्थी व उसकी मां को दिनांक 14–07–2024 को जबरन बेइज्जत करते हुए थाने ले आये और 6 घण्टा तक थाने में बन्द रखा और कहा कि अगर

सुलह नहीं किया तो हम तुम्हें फर्जी मुकदमें में फंसा कर जेल भेज देंगे कम से 6 किला चरस हमारे थाने मे तुम जैसे लोगों के लिए रखा रहता है तथा कपिलमुनि यादव ने प्रार्थीव उसकी मां छोटका से सादे कागज पर अंगूठा का निशान व हस्ताक्षर जबरदस्ती लगवा लिया। घटना की सूचना थाना मल्हीपुर को दिया कोई कार्यवाही न होने पर पुलिस अधीक्षक को जरिये डाक सूचना किया कोई कार्यवाही ने होने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र के साथ मेडिकल रिपोर्ट व एस0पी0 का प्रार्थना पत्र रजिस्टी रसीद व आधार कार्ड संलग्न है। तदुनसार मुकदमा पंजीकृत कराये जाने की याचना की।

प्रार्थी द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची बी 5 के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को भेजे गये पत्र की फोटो प्रति, रजिस्ट्री रसीद, आधार कार्ड की फोटो प्रति व सूची 5 बी से मेडिकल पर्चा इण्डिया हास्पिटल दिनांकित 24–06–2024, मेडिकल पर्चा डा0 केडिया दिनांकित 22–06–2024, मेडिकल पर्चा न्यू बुद्धा अस्पताल एन्ड आई केयर सेन्टर दिनांकित 24–06–2024, प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती दिनांकित 22–08–2024, राजिस्टी रसीद, छायाप्रति आधार कार्ड व एक अन्य सूची दिनांकित 17–10–2024 से एक किता सी0डी0 रिकार्डिग तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अनुसूचित जाति के लिए जारी जाति प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत किया है। उक्त जाति प्रमाण पत्र में आवेदक को चमार जाति का बताते हुए उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है प्रस्तुत किया है।

परिवादी द्वारा अपने परिवाद कथानक के समर्थन में धारा 223 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत स्वयं का बयान, पी0डब्लू–1 अनिल कुमार व पी0डब्लू–2 वकील का बयान अंकित कराया गया।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173 4 बी0एन0एस0एस0 / परिवाद पत्र में यह कथन किया है कि विपक्षीगण द्वारा अवैध रूप से मरीजो का इलाज किया जात है जिस क्रम में प्रार्थी के पिता को विपक्षी संख्या 1 के डायग्नोटिक सेंटर पर विपक्षी संख्या 2 द्वारा पीठ पर दबाव देकर उसके पिता की रीढ़ की हड्डी तो तोड़ दी गयी। प्रार्थी ने सूची के माध्यम से इण्डिया हास्पिटल बहराईच तथा न्यू बुद्धा हास्पिटल बहराईच के प्रपत्र लगाये हैं। इसके अतिरिक्त एक फोटो ग्राफ भी प्रस्तुत किया है जिसमे उसके पिता की एक्सरे रिपोर्ट व दौरान इलाज अस्पताल में बेड पर रहने का फोटो मौजूद है। परन्तु प्रार्थी द्वारा इस आशय का कोई भी चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया है जिसके द्वारा उसके पिता की रीढ़ की हडडी टूटे जाने की पुष्टि होती हो। प्रार्थी ने परिवादपत्र मे रीढ़ की हडडी टूटने के बाद विपक्षी संख्या 2 व 3 पर प्रार्थी व उसकी मां को जातिसूचक गालियां दिये जाने, मारने पीटने का कथन किया है। जबकि अपने बयान अन्तर्गत धारा 223 बी0एन0एस0एस0 में मात्र स्वयं को तीनो विपक्षीगण द्वारा जातिसूचक गालियां दिये जाने तथा मारने पीटने का

कथन किया है साथ ही सतीश वर्मा द्वारा एक रसीद देने तथा झगड़ा के बाद उसे छीन कर फाड़ने का भी कथन किया है परन्तु ऐसी कोई रसीद की फोटो प्रति उसके द्वारा प्रस्तुत नही की गयी है। साक्षी अनिल कुमार ने अपने बयान में स्वयं को भी घटनास्थल पर होना बताया है जबकि ऐसा कोई कथन परिवादी द्वारा नहीं किया गया है। इस साक्षी ने घटना के समय परिवादी की मां को भी घटनास्थल पर होना बताया है। साक्षी वकील परिवादी के पिता ने अपने बयान में उसे व उसके लड़के परिवादी के साथ मारपीट किये जाने व जातिसूचक गालियां दिये जाने का कथन किया है। परिवादी की ओर से कथित पीड़ित वकील की मेडिकल/एक्सरे रिपोर्ट दिनांकित 17–07–2025 में लम्बर स्पाईन डिसीज एवं आस्टिओ आर्थराइटिस बाइलेट्रल हिप ज्वाईंट इम्प्रेशन के रूप मे अंकित है एवं किसी फ्रेक्चर आदि का कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी ने विपक्षीगगण के क्लीनिक पर इलाज सम्बन्धी कोई भी अभिलेखीय प्रमाण न्यायालय पर प्रस्तुत नहीं किया है तथा न ही किसी अन्य हास्पिटल की रीढ़ की हडडी टूटने सम्बन्धी कोई मेडिकल प्रपत्र ही प्रस्तुत किया है। परिवादी द्वारा यह कथन किया गया है कि विपक्षीगण द्वारा फर्जी तरीके से उसे पिता का इलाज करके उसके पिता की रीढ़ की हडडी तोड दी परन्तु अभिलेखीय साक्ष्य के अभाव में इलाज किये जाने व रीढ़ की हडडी टूटने का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। जहां तक गाली गलौज, मारपीट का सम्बन्ध है परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण के बयानो में गम्भीर विरोधाभाष है। अतः उपरोक्त विरोधाभाषो को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षीगण को तलब किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। परिवाद धारा अर्न्तगत धारा 226 बी0एन0एस0एस0 के प्रावधान के प्रकाश में निरस्त होने योग्य है ।

<u>आदेश</u>

परिवाद अन्तर्गत धारा 226 बी0एन0एस0एस0 के प्रावधान के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दाखिल दफ्तर हो ।

(अवनीश गौतम)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
श्रावस्ती।